

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-1/अ0प्र0-01-41/2025 2)3

/पटना, दिनांक 24.4.25

श्री अशोक कुमार दूबे, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता सम्प्रति तकनीकी परामर्शी (विधि) (संविदा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को स्वयं के खर्चे पर दिनांक- 19.05.2025 से 11.06.2025 तक अमेरिका जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तथा उक्त अवधि को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त शेष अवधि हेतु नो वर्क नो पे के अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

- उक्त अवधि में श्री अशोक कुमार दूबे, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता सम्प्रति तकनीकी परामर्शी (विधि) (संविदा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के स्थान पर प्रशाखा-07 के कार्यों का निर्वहन श्री फातेह फैयाज, महाप्रबंधक, ब्राडा करेंगे।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/ अ0प्र0-01-41/2025 4485

/पटना, दिनांक 24.4.25

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ सभी विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी संयुक्त सचिव/मुख्य निगरानी पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रावैधिक)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/ प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार/लोक सूचना पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव